इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 355]　　भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त 2015—भाद्र 5, शक 1937

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 1-176-2011-अड़तीस-1　　भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2015

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम, 1990 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 2 में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(ग क) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26.12.1984 द्वारा यथाविर्निदिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;"।

2. नियम 6 में,—

(क) उप नियम (1) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ग) अनुसूची—चार में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;"।

(ख) उप नियम (4) का लोप किया जाए ।

3. नियम 11 में,—

(क) उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) सीधी भर्ती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत उन अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखी जाएंगी जो क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हों, इसके अतिरिक्त सभी वर्गों में उपलब्ध रिक्तियों का 06 प्रतिशत शारीरिक रूप से ऐसे निःशक्तजनों के लिए आरक्षित रखा जाएगा जिनकी निःशक्तता शैक्षणिक कार्य में बाधक न हो।

(ख) उप नियम (4) में, शब्द "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों" के स्थान पर, शब्द "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों" स्थापित किए जाएं ।

(ग) उप नियम (5) में, दो बार आने वाले शब्द "अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों" के स्थान पर, शब्द "अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों" स्थापित किए जाएं ।

(घ) उप नियम (6) का लोप किया जाए ।

(ङ.) उप नियम (8) में, शब्द "प्रतिशत," जहां कहीं भी वह आया हो, का लोप किया जाए ।

4. नियम 12 में,—

(क) उप नियम (1) में, शब्द "प्राध्यापक" के स्थान पर, शब्द "सह प्राध्यापक/प्राध्यापक" स्थापित किए जाएं ।

(ख) उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी जो क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हों ।"।

(ग) उप नियम (3) में, शब्द "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों" के स्थान पर, शब्द "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों" स्थापित किए जाएं ।

(घ) उप नियम (4) में,–

(एक) शब्द "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों" के स्थान पर शब्द "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों" स्थापित किए जाएं;

(दो) शब्द "अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों" के स्थान पर, शब्द "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों" स्थापित किए जाएं ।

(ङ.) उप नियम (5) का लोप किया जाए ।

5. नियम 13 में, उप नियम (1) में, शब्द, "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों" के स्थान पर, शब्द "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों" स्थापित किए जाएं ।

6. नियम 14 में, उप नियम (तीन) में, खण्ड (आ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(आ) सरकार द्वारा अधिकार में ले लिए गए महाविद्यालयों के केवल ऐसे प्राचार्य जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम दिनांक 30 जून 2010 के अनुसार पात्र हों, प्राचार्य के पद पर आमेलन किए जाने हेतु तैयार किए जाने वाले पेनल में सम्मिलित किए जाएंगे।"।

7. नियम 15 का लोप किया जाए ।

8. नियम 16 में, उप नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(3) सभी श्रेणियों के पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 16 एवं 20 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे ।" ।

9. नियम 16 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"16—क शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक संवर्ग में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2010 में यथाविहित इस संवर्ग के अधिकारियों के लिए वृत्ति उन्नति योजना लागू होगी ।"।

10. नियम 17 में,—

(क) उप नियम (1) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "कालम (3)" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "कालम (4)" स्थापित किए जाएं;

(ख) उप नियम (2) में, विद्यमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"चयन के लिए विचार का क्षेत्र, गुणानुक्रम, ज्येष्ठता के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी नियम, आदेश एवं निर्देशों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे।"

11. नियम 25 में, शब्द, "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों" के स्थान पर, शब्द "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों" स्थापित किए जाएं ।

12. उक्त नियमों में विद्यमान अनुसूची—एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची —एक
(नियम 4 तथा 5 देखिये)

क.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4	5

1	प्राचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय/ अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	98	प्रथम श्रेणी	37400–67000 ग्रेड पे–10000 विशेष भत्ता 3000
2	प्राचार्य स्नातक महाविद्यालय/संयुक्त संचालक/राज्य एन.एस.एस. अधिकारी	333	प्रथम श्रेणी	37400–67000 ग्रेड पे–10000 विशेष भत्ता 2000
3	प्राध्यापक	704	प्रथम श्रेणी	37400–67000 ग्रेड पे–10000
4	(अ) सह–प्राध्यापक /उप संचालक (प्रवर श्रेणी वेतनमान में तीन वर्ष से अधिक की सेवा)	7348	प्रथम श्रेणी	37400–67000 ग्रेड पे– 9000
	(ब) सहायक प्राध्यापक (प्रवर श्रेणी)		प्रथम श्रेणी	15600–39100 ग्रेड पे–8000
	(स) सहायक प्राध्यापक (वरिष्ठ श्रेणी)		प्रथम श्रेणी	15600–39100 ग्रेड पे–7000
	(द) सहायक प्राध्यापक		द्वितीय श्रेणी	15600–39100 ग्रेड पे–6000
5	(अ) क्रीड़ा अधिकारी (प्रवर श्रेणी) (प्रवर श्रेणी वेतनमान में तीन वर्ष से अधिक की सेवा)	342	प्रथम श्रेणी	37400–67000 ग्रेड पे–9000
	(ब) क्रीड़ा अधिकारी (प्रवर श्रेणी)		प्रथम श्रेणी	15600–39100 ग्रेड पे–8000
	(स) क्रीड़ा अधिकारी (वरिष्ठ श्रेणी)		प्रथम श्रेणी	15600–39100 ग्रेड पे–7000
	(द) क्रीड़ा अधिकारी		द्वितीय श्रेणी	15600–39100 ग्रेड पे–6000
6	(अ) ग्रंथपाल (प्रवर श्रेणी) (प्रवर श्रेणी वेतनमान में तीन वर्ष से अधिक की सेवा)	385	प्रथम श्रेणी	37400–67000 ग्रेड पे–9000
	(ब) ग्रंथपाल (प्रवर श्रेणी)		प्रथम श्रेणी	15600.39100 ग्रेड पे–8000
	(स) ग्रंथपाल (वरिष्ठ श्रेणी)		प्रथम श्रेणी	15600–39100 ग्रेड पे–7000
	(द) ग्रंथपाल		द्वितीय श्रेणी	15600–39100 ग्रेड पे–6000

<u>नोट–</u>

1- उपर्युक्त सभी दर्शित पद संख्या एवं यू.जी.सी. वेतनमान परिवर्तनीय है, और समय समय पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नवीन निर्मित पदों व वेतनमानों को समाहित मान्य करते हुये अधिसूचित किया जा सकेगा ।

2– सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक (प्रवर /वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान), क्रीड़ा अधिकारी (प्रवर /वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान), ग्रंथपाल (प्रवर /वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान) के पद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कैरियर एडवांस स्कीम (सी.ए.एस.) के अंतर्गत कमोन्नति / पदोन्नति के हैं, जिनका वेतनमान दर्शाये गए अनुसार भिन्न–भिन्न है तथा यह उल्लिखित निर्धारित पद संख्या के अंतर्गत ही सीमित रहेंगे ।

3– अतिरिक्त संचालक / संयुक्त संचालक / उप संचालक / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पदनाम संबंधित समकक्ष पदों पर कार्यरत प्राचार्य/शिक्षक को संचालनालय या क्षेत्रीय कार्यालय में संलग्न किये जाने पर मान्य होंगे ।

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिये)

सं. क.	पदों के नाम	भर्ती का तरीका		
		सीधी भर्ती	पदोन्नति/ चयन/स्थानन पदनाम	अन्य सेवाओं में प्रतिनियुक्ति द्वारा
1	2	3	4	5
1	प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय/अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	—	100%	5%
2	प्राचार्य स्नातक महाविद्यालय/संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा/राज्य एन.एस.एस. अधिकारी	—	100%	
3	प्राध्यापक	25%	75%	
4	सह—प्राध्यापक / उप संचालक	—	100%	
5	(अ) सहायक प्राध्यापक (प्रवर श्रेणी)	—	100%	
	(ब) सहायक प्राध्यापक (वरिष्ठ श्रेणी)	—	100%	
	(स) सहायक प्राध्यापक	100%	—	
6	(अ) क्रीड़ा अधिकारी (प्रवर श्रेणी वेतनमान में तीन वर्ष से अधिक की सेवा)	—	100%	
	(ब) क्रीड़ा अधिकारी (प्रवर श्रेणी)	—	100%	
	(स) क्रीड़ा अधिकारी (वरिष्ठ श्रेणी)	—	100%	
	(द) क्रीड़ा अधिकारी	100%	—	
7	(अ) ग्रंथपाल (प्रवर श्रेणी वेतनमान में तीन वर्ष से अधिक की सेवा)	—	100%	
	(ब) ग्रंथपाल (प्रवर श्रेणी)	—	100%	
	(स) ग्रंथपाल (वरिष्ठ श्रेणी)	—	100%	
	(द) ग्रंथपाल	100%	—	

नोट—

— **उपर्युक्त अनुसूची के समस्त शैक्षणिक पदों का मात्र 5 प्रतिशत तक अन्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर बाह्य सेवा (Foreign service)जाने हेतु कैडर सीमित रहेगा ।**

— **उपर्युक्त अनुसूची में उल्लिखित समस्त पदों हेतु न्यूनतम योग्यताएं / वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय, शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक संवर्गो में उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं एवं अन्य मापदंड) विनियम, 2010 के अंतर्गत अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, जैसा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा तत्समय अंगीकृत किये जाएं, प्रभावशील होंगे ।**

अनुसूची—तीन
(नियम 8 देखिए)

स. क.	पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4	5
1	प्राचार्य	—	—	संबंधित पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक संवर्गो में उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं एवं अन्य मापदण्ड) विनियम, 2010 या समय समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित तथा म.प्र. शासन द्वारा अंगीकृत नियमों के अनुसार लागू होंगी ।
2	प्राध्यापक	—	—	
3	सह—प्राध्यापक	—	—	
4	सहायक प्राध्यापक	21	40	
5	क्रीड़ा अधिकारी	21	40	
6	ग्रंथपाल	21	40	

नोट :-

1- सीधी भरती हेतु समस्त संबंधित वर्गो की अधिकतम आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों / अनुदेशों के अनुसार मान्य होगी ।

2- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक संवर्गो में उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं एवं अन्य मापदण्ड) विनियम, 2010 द्वारा समय समय पर जारी होने वाली संशोधित अधिसूचनाओं अनुसार नियम तथा वेतनमान जो मध्यप्रदेश शासन व्दारा पूर्णतः अथवा अंशतः संशोधन के साथ अंगीकृत किये गये हों, के अनुसार न्यूनतम योग्यताओं को छोड़कर अन्य प्रावधान निर्धारित/सुनिश्चित होंगे।

अनुसूची-चार
(नियम 16 देखिये)

स. क	उस पद का नाम जिससे चयन/पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर चयन/पदोन्नति की जानी है	चयन/पदोन्नति/ स्थानन के लिए अपेक्षित अर्हताएं	विभागीय चयन/पदोन्नति / अन्वीक्षण समिति के सदस्यों के नाम
1	2	3	4	5
1.	प्राचार्य स्नातक महाविद्यालय/ संयुक्त संचालक/ राज्य एन.एस.एस. अधिकारी	प्राचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय/ अतिरिक्त संचालक	इन पदों पर चयन हेतु पात्रता शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 30 जून 2010 के विनियम की कंडिका 4.2.0 की उपकंडिका i, ii, iii, iv में वर्णित शर्तो के अनुसार होंगी ।	इस अनुसूची के नोट (1) में वर्णित अनुसार
2.	प्राध्यापक	प्राचार्य स्नातक महाविद्यालय/ संयुक्त संचालक/ राज्य एन.एस.एस. अधिकारी	इन पदों पर चयन हेतु पात्रता शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 30 जून 2010 के विनियम की कंडिका 4.2.0 की उपकंडिका i, ii, iii, iv में वर्णित शर्तो के अनुसार होंगी ।	इस अनुसूची के नोट (1) में वर्णित अनुसार
3.	सह-प्राध्यापक	प्राध्यापक	इन पदों पर चयन हेतु पात्रता की शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक संवर्गो में उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं एवं अन्य मापदण्ड) विनियम, 2010 के अंतर्गत अनुसंलग्न-3 में वर्णित कार्य आधारित मूल्यांकन पद्धति एवं वार्षिक कार्य संपादन सूचकांक के अनुसार होंगी ।	इस अनुसूची के नोट (1) में वर्णित अनुसार
4	(अ)			

4.	(अ) सहायक प्राध्यापक (प्रवर श्रेणी)	सह–प्राध्यापक	इन पदों पर चयन हेतु पात्रता की शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक संवर्गो में उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं एवं अन्य मापदण्ड) विनियम 2010 के अंतर्गत अनुसंलग्न–3 में वर्णित कार्य आधारित मूल्यांकन पद्धति एवं वार्षिक कार्य संपादन सूचकांक के अनुसार होंगी ।	इस अनुसूची में आगे नोट (2) में वर्णित अनुसार
	(ब) सहायक प्राध्यापक (वरिष्ठ श्रेणी)	(अ) सहायक प्राध्यापक (प्रवर श्रेणी)	इन पदों पर चयन हेतु पात्रता की शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक संवर्गो में उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखते हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं एवं अन्य मापदण्ड) विनियम 2010 के अंतर्गत अनुसंलग्न–3 में वर्णित कार्य आधारित मूल्यांकन पद्धति एवं वार्षिक कार्य संपादन सूचकांक के अनुसार होंगी ।	
	(स) सहायक प्राध्यापक	(ब) सहायक प्राध्यापक (वरिष्ठ श्रेणी)	इन पदों पर चयन हेतु पात्रता की शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक संवर्गो में उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखते हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं एवं अन्य मापदण्ड) विनियम 2010 के अंतर्गत अनुसंलग्न–3 में वर्णित कार्य आधारित मूल्यांकन पद्धति एवं वार्षिक कार्य संपादन सूचकांक के अनुसार होंगी ।	
5.	(अ) क्रीड़ा अधिकारी (प्रवर श्रेणी)	(अ) क्रीड़ा अधिकारी (प्रवर श्रेणी वेतनमान में तीन वर्ष से अधिक सेवा)	इन पदों पर चयन हेतु पात्रता की शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक संवर्गो में उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखते हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं एवं अन्य मापदण्ड) विनियम 2010 या समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित तथा म.प्र. शासन द्वारा अंगीकृत नियमों के अंतर्गत संबंधित पद के लिये निर्धारित अर्हताएं होंगी ।	इस अनुसूची में आगे नोट (2) में वर्णित अनुसार
	(ब) क्रीड़ा अधिकारी (वरिष्ठ श्रेणी)	(ब) क्रीड़ा अधिकारी (प्रवर श्रेणी)		
	(स) क्रीड़ा अधिकारी	(स) क्रीड़ा अधिकारी (वरिष्ठ श्रेणी)		
6.	(अ) ग्रंथपाल (प्रवर श्रेणी)	(अ) ग्रंथपाल (प्रवर श्रेणी वेतनमान में तीन वर्ष से अधिक सेवा)	इन पदों पर चयन हेतु पात्रता की शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक संवर्गो में उच्च	इस अनुसूची में आगे नोट (2) में वर्णित अनुसार

	(ब) ग्रंथपाल (वरिष्ठ श्रेणी)	(ब) ग्रंथपाल (प्रवर श्रेणी)	शिक्षा का स्तर बनाये रखते हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं एवं अन्य मापदण्ड) विनियम 2010 या समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित तथा म.प्र. शासन द्वारा अंगीकृत नियमों के अंतर्गत संबंधित पद के लिये निर्धारित अर्हताएं होंगी ।	
	(स) ग्रंथपाल	(स) ग्रंथपाल (वरिष्ठ श्रेणी)		

नोट :–

(1) विभागीय चयन/पदोन्नति समिति –

1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य –अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग –सदस्य
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश –सदस्य
4. कार्यालय प्रमुख, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी –सदस्य
5. प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा नामांकित तीन अधिकारी जिनमें एक प्राचार्य, एक प्राध्यापक एवं एक विषय विशेषज्ञ –सदस्य

(समिति में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का एक–एक सदस्य होना अनिवार्य है)

(2) अन्वीक्षण समिति :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा या उनके द्वारा नामांकित अपर संचालक – संयोजक
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग – सदस्य
3. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा नामनिर्दिष्ट) – सदस्य
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञ – सदस्य

(समिति में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का एक–एक सदस्य होना अनिवार्य है)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा, उपसचिव.

No. F 1-176-2011-XXXVIII Bhopal, dated 27 August 2015

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule 2, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :-

"(ca) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26.12.1984 as amended from time to time.".

2. In rule 6,-

(a) In sub- rule (1), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :-

"(c) By the promotion of members of the service as specified in Schedule-IV;".

(b) Sub-rule (4) shall be omitted.

3. In rule 11,-

(a) For sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(3) 16 percent, 20 percent and 14 percent of the vacancies available for direct recruitment shall be kept reserved for the candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes respectively, in addition to this, 06 percent of the available vacancies in all classes shall be kept reserved for those physically handicapped whose disability is not a hurdle in teaching work.";

(b) In sub-rule (4), for the words "Scheduled Castes and Scheduled Tribes", the words "Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes" shall be substituted;

(c) In sub-rule (5), for the words "Scheduled Castes and Scheduled Tribes," occurring twice, the words "Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes" shall be substituted;

(d) Sub-rule (6) shall be omitted;

(e) In sub-rule (8), the word "percent" wherever it occurs, shall be omitted;

4. In rule 12,-

(a) In sub-rule (1), for the word "Professor", the words "Associated Professor/Professor" shall be substituted;

(b) For sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(2) 16 percent, 20 percent and 14 percent of the vacancies available for direct recruitment shall be kept reserved for the candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes respectively.";

(c) In sub-rule (3), for the words "Scheduled Castes and Scheduled Tribes", the words "Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes" shall be substituted;

(d) In sub-rule (4),-

(i) For the words "Scheduled Castes and Scheduled Tribes", the words "Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes" shall be substituted;

(ii) For the words "Scheduled Castes or Scheduled Tribes", the words "Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes" shall be substituted;

(e) Sub-rule (5) shall be omitted;

5. In rule 13, in sub-rule (1), for the words "Scheduled Castes and Scheduled Tribes", the words "Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes" shall be substituted.

6. In rule 14, in sub-rule (iii), for clause (B), the following clause shall be substituted, namely :-

"(B) Only those principals of colleges which have been taken over by the government who are eligible in accordance with the Regulations of the University Grants Commission dated 30th June, 2010 shall be included in the panel to be prepared for absorption on the post of Principal.".

7. Rule 15 shall be omitted.

8. In rule 16, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(3) 16 percent and 20 percent in all categories of posts/services shall be kept reserved for the public servants belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively.".

9. After rule 16, the following rule shall be inserted, namely :-

"16-A. Career Advancement Scheme shall be applicable to the officers of this cadre as prescribed in University Grants Commission Regulation, 2010 regarding minimum qualification for appointment to teaching and other Academic Cadre.".

10. In rule 17,-

(a) In sub-rule (1), for the word, brackets and figure "column (3)" , the word, bracket and figure "column(4)" shall be substituted;

(b) In sub-rule (2), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :-

"Provided that the zone of consideration for selection and the number of officers to be included in the select list, Regarding the posts to be filled on the basis of seniority, merit shall be determined in accordance with the orders and directions issued by General Administration Department from time to time.".

11. In rule 25, for the words "Scheduled Castes and Scheduled Tribes", the words "Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes" shall be substituted.

12. Fort the existing Schedules I, II, III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely :-

"**SCHEDULE-I**
(see rule 4 and 5)

S.No.	Name of posts included in the services	Number of posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Principal, P.G. College/Additional Director, Higher Education	98	Class-I	37400-67000+Grade Pay 10000 Special Allowance 3000
2.	Principal, Degree College/Joint Director, Higher Education/State N.S.S. Officer	333	Class-I	37400-67000+Grade Pay 10000 Special Allowance 2000
3.	Professor	704	Class-I	37400-67000+Grade Pay 10000
4.	(a)Associate Professor/Deputy Director (more than3 years service in selection grade)	7348		
	(b) Assistant Professor (selection grade)		Class-I	15600-39100+Grade Pay 8000
	(c) Assistant Professor (senior scale)		Class-I	15600-39100+Grade Pay 7000
	(d) Assistant Professor		Class-II	15600-39100+Grade Pay 6000
5.	(a) Sports Officer (selection grade)	342	Class-I	37400-67000+ Grade Pay 9000
	(b) Sports Officer (selection grade)		Class-I	15600-39100+Grade Pay 8000
	(c) Sports Officer (senior scale)		Class-I	15600-39100+Grade Pay 7000
	(d) Sports Officer		Class-II	15600-39100+Grade Pay 6000
6.	(a) Librarian (selection grade)	385	Class-I	37400-67000+ Grade Pay 9000
	(b) Librarian (selection grade)		Class-I	15600-39100+Grade Pay 8000
	(c) Librarian (Senior Scale)		Class-I	15600-39100+Grade Pay 7000
	(d) Librarian		Class-II	15600-39100+Grade Pay 6000

Note-

1. All the aforesaid number of posts and University Grants Commission Pay Scale are variable and may be notified by the Higher Education Department from time to time, considering as incorporated the newly created posts and scales

2. The posts of Associate Professor, Assistant Professor (selection/senior grade scale), Sports Officer (selection/senior grade scale), Librarian (selection/senior grade scale) are of increment/promotion under the University Grants Commission. Career Advancement Scheme (C.A.S),Pay Scale of which is different as shown shall remain restricted under the mentioned number of posts.
3. The designation of Additional Director/Joint Director/Deputy Director/ Officer on Special Duty shall be admissible to the Principal/Teacher working on the related equivalent post on Directorate or Regional Office.

SCHEDULE-II
(See rule 6)

S.No.	Name of the post	Method or Recruitment		
		By direct recruitment	By promotion/selection/placement	By deputation from other services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Principal, P.G. College/Additional Director, Higher Education	-	100%	-
2.	Principal, Degree College/Joint Director, Higher Education/State N.S.S. Officer	-	100%	-
3.	Professor	25%	75%	-
4.	Associate Professor/Deputy Director	-	100%	-
5.	(a) Assistant Professor (selection grade) (b) Assistant Professor (senior scale) (c) Assistant Professor	 100%	100% 100% 	-
6.	(a) Sports Officer (more than 3 years service in selection grade) (b) Sports Officer (selection grade) (c) Sports Officer (senior scale) (d) Sports Officer	- - - 100%	100% 100% 100% -	-
7.	(a) Librarian (more than 3 years service in selection grade) (b)) Librarian (selection grade) (c) Librarian (senior scale) (d) Librarian	- - - 100%	100% 100% 100% -	

Note :

- Cadres shall be confined only up to 5 % of all the teaching posts of aforesaid Schedule for deputation on foreign service.
- The minimum qualification and pay scale for all the posts mentioned in the aforesaid Schedule shall be effective under the University Grants Commission (minimum qualification for appointment of Teachers and other Academic staff in Universities and Colleges and measures for the maintenance of standard in Higher Education Regulation, 2010 or on in accordance with notification issued by the University Grants Commission as for the time being adopted by Government of Madhya Pradesh.

SCHEDULE-III
(See rule 8)

S.No.	Name of posts	Minimum age limit	Upper age limit	Educational Qualification prescribed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Principal	-	-	Minimum qualifications prescribed for the concerning posts under the University Grants Commission (minimum qualification for appointment of Teachers and other Academic staff in university and colleges and measures for the maintenance of standard in Higher Education Regulation, 2010 as notified in Gazette of Government of India by University Grants Commission and by the rules adopted by the Government of Madhya Pradesh from time to time
2.	Professor	-	-	
3.	Associate Professor	-	-	
4.	Assistant Professor	21	40	
5.	Sports Officer	21	40	
6.	Librarian	21	40	

Note:

- The upper age limit for all concerning cadres shall be admissible in accordance with the directions/instructions issued by the General Administration Department from time to time.
- The rules, pay scale and other provisions except minimum qualification shall be determined/ascertain in accordance with University Grants Commission (minimum qualification for appointment of Teachers and other Academic staff in university and colleges and measures for the maintenance of standard in Higher Education) Regulation, 2010 and notifications issued and amended from time to time and fully and partly adopted by Government of Madhya Pradesh.

SCHEDULE-IV
(see rule 16)

S.No.	**Name of the post from which selection/ promotion is to be made**	**Name of the post to which selection/promotion is to be made**	**Required qualifications for selection/ promotion /placement**	**Name of members of the Departmental Selection/ Promotion/ Scrutiny Committee**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Principal, Degree College/Joint Director/ State N.S.S. Officer	Principal, P.G. College/ Additional Director	Eligibility conditions for selection on these posts shall be in accordance with the norms as described in sub-clause (i), (ii), (iii) and (iv) of clause 4.2.0 of the University Grants Commission Regulation, 2010.	As described in Note-1of this Schedule
2.	Professor	Principal, Degree College/Joint Director/ State NSS Officer	Eligibility conditions for selection on these posts shall be in accordance with the norms as described in sub-clause (i), (ii), (iii) and (iv) of clause 4.2.0 of the University Grants Commission.	As described in Note-1of this Schedule
3.	Associate Professor	Professor	Eligibility conditions for selection on these posts shall be in accordance with performance based appraisal system and academic performance index described in Annexure-C under the University Grants Commission (minimum qualification for appointment of Teachers and other Academic staff in university and colleges and measures for the maintenance of standard in Higher Education) Regulation, 2010.	As described in Note-1of this Schedule
4.	(a) Assistant Professor (Selection Grade)	(a) Associate Professor	Eligibility conditions for selection on these posts shall be in accordance with performance based appraisal system and	As described in Note-2 of this Schedule

	(b)Assistant Professor (Senior Grade) (c)Assistant Professor	(b)Assistant Professor (Selection Grade) (c)Assistant Professor (Senior Grade Scale)	academic performance index described in Annexure-C under the University Grants Commission (minimum qualification for appointment of Teachers and other Academic staff in university and colleges and measures for the maintenance of standard in Higher Education) Regulation, 2010.	
5.	(a)Sports Officers (Selection Grade) (b)Sports Officers (Senior Grade) (c)Sports Officer	(a) Sports Officers (more than 3 years in Selection Scale) (b) Sports Officers (Selection Grade) (c) Sports Officers (Senior Grade Scale)	Eligibility conditions for selection on these posts shall be in accordance with performance based appraisal system and academic performance index described in Annexure-C under the University Grants Commission (minimum qualification for appointment of Teachers and other Academic staff in university and colleges and measures for the maintenance of standard in Higher Education) Regulation, 2010.	As described in Note-2 of this Schedule
6.	(a)Librarian (Selection Grade) (b)Librarian (Selection Grade) (c) Librarian	(a) Librarian (Senior Selection Grade) (b) Librarian (Selection Grade) (c) Librarian (Senior Scale)	Eligibility conditions for selection on these posts shall be in accordance with performance based appraisal system and academic performance index described in Annexure-C under the University Grants Commission (minimum qualification for appointment of Teachers and other Academic staff in university and colleges and measures for the maintenance of standard in Higher Education) Regulation, 2010 or the qualification prescribed for the related post under the regulation notified Indian	As described in Note-2 of this Schedule

			Gazette by University Grand Commission and adopted by Government of Madhya Pradesh.	

Note:-

(1) Departmental Selection/Promotion Committee,-

1. Chairman, Public Service Commission or any nominated member by him - Chairman
2. Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Higher Education- Member
3. Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh - Member
4. Head of office, University Grand Commission, Central Regional Office, Bhopal or any Officer nominated by him - Member
5. Three officers, in which there shall be one Principal, one Professor and one subject expert nominated by the Principal Secretary/Secretary, Higher Education (one member each from Scheduled Castes/Scheduled Tribes category is mandatory) - Member

(2) Scrutiny Committee:-

1. Commissioner, Higher Education or any Additional Director nominated by him - Convener
2. Deputy Secretary, Government of Madhya Pradesh, Higher Education - Member
3. Principal, Government Post Graduate College (nominated by Commissioner, Higher Education) - Member
4. Two subject experts, nominated by Commissioner, Higher Education (one member each from Scheduled Castes/Scheduled Tribes category is mandatory) - Member

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

LALIT DAHIMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.